इसके अर्न्तगत निम्नलिखित धाराओं के अर्न्तगत कानूनी कार्यवाहियों की जानकारियांः

धारा–122 ख–इस धारा के तहत कानून में यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी ग्रामसभा या किसी स्थानीय संस्था में निहित सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है, तो उसके विरूद्व ग्रामसभा या स्थानीय संस्था तहसीलदार के न्यायालय में वाद दायर कर सकती है,तथा उसे बेदखल करा सकती है, तथा नाजायत कब्जेदार से हर्जाना भी वसूल किया जा सकता है।

धारा–131 ख–प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अध्यादेश 1995 के प्रभावों से ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकारी वाला भूमिधर हो या 10 वर्ष की अवधि तक असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो उसे भूमि के संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो जायेगें। इसके लिए उपजिलाधिकारी के यहां आवेदन देना होता है।

धारा–154क– इस धारा के अर्न्तगत यह प्राविधान है कि कोई भी विदेशी नागरिक राज्य सरकार की पूर्व लिखित आज्ञा के बिना विक्रय या दान द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं कर सकता। इस धारा में यह भी प्राविधान है कि जो इस धारा का उल्लंघन करेगा, ऐसा संक्रमण शून्य (अवैध ट्रांस्फर) होगा।

धारा–155 – कोई भूमिधर अपनी ऐसी भूमि का, जिसका वह भूमिधर हो, इस प्रकार का बन्धक न कर सकेगा,जिससे दिये गये या दिये जाने वाले रूपए से सुरक्षा के लिए बन्धक की गई भूमि में बन्धकों को कब्जा दिया जाता हो या भविष्य में दिया जाने वाला हो।

धारा–157(1) क–अविवाहित स्त्री अथवा यदि वह विवाहित हो तो अपने पति से त्याग परित्यक्त हो या तलाक हो या अलग हो गई हो, या उसका पति पागल या जड हो या अन्ध हो या शारीरिक रूप से अक्षम हो तो अपने कुल खाते की भूमि या उसके भाग को पटटे पर दे सकती है।

धारा–157(1) ख–नाबालिग जिसका पिता पागल हो या शारीरिक कमजोरी के कारण कृषि करने में अक्षम हो अपनी भूमि को पटटे/ठेके पर दे सकता है।

धारा–157(1) ग–घ– कोई भी पागल,जड,अन्धा या शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम व्यक्ति भी अपनी भूमि पटटे पर दे सकता है।

धारा–157(1) ड– एक मान्यता प्राप्त शैक्षिणिक संस्था में शिक्षा पा रहा है,और जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं है, और जिसका पिता खण्ड (ग) या (भ) में उल्लिखित निर्योग्यताओं से पीडित है या मर चुका है।

धारा–157(1) च– भारत सरकार की स्थल,जल या वायु सेना में है, या

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

धारा–157(1) छ– निरोधन या कारावास में है,अपनी जोत या इसके अंश को पटटे पर उठा सकता है।

धारा–157(क) कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो भूमिधर हो वह कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भूमि विक्रय करने,दान करने,पट्टा करने का अधिकारी न होगा।

धारा–157(क–क) इस धारा के अधीन कोई अनुसूचित जाति का ऐसा जोतदार जिसे पटटे की भूमि पर संक्रमण अधिकार प्राप्त हुए हैं। वह अपनी ज्योति की भूमि उपजिलाधिकारी की अनुमति के बिना संक्रमण नहीं करेगा। बिना अनुमति का संक्रमण शून्य माना जायेगा।

धारा–157(ख) कोई भी अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य का भूमिधर किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी भूमि का विक्रय,दान या पटटे द्वारा संक्रमण करने का अधिकार न होगा, जो उसकी जाति का न हो। ऐसा करने पर भूमिधर की जमीन सरकार में चली जायेगी। यह वाद तहसीलदार की जानकारी में आने पर उसकी रिपोर्ट के आधार पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति की शिकायत पर उपजिलाधिकारी के कोर्ट में दाखिल होगा।

धारा–143–कोई भी भूमिधर अपने खाते या उसके भाग के कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य,कुक्कुट पालन शामिल हैं, अलावा अन्य कार्य के लिए प्रयोग करता है, तो परगनाधिकारी स्वयं अथवा प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात उक्त भूमि को आकृषिक भूमि घोषित कर सकता है। आबादी व्यवसायिक या औद्यौगिक घोषित कराने के लिए एस0डी0ओ0 के यहां वाद दाखिल करें।

धारा–161–कोई भी भूमिधर किसी दूसरे भूमिधर से या गांव की भूमि से तबादला कर सकता है। इसके लिए परगनाधिकारी के न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। तबादले में प्रयुक्त भूमियों के लगान में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

धारा–166–कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर जमीन संक्रमण करता है। वह संक्रमण शून्य होगा।

धारा–167–धारा 167 के तहत शून्य संक्रमण वाली भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी। इसका वाद उपजिलाधिकारी के कोर्ट में चलेगा।

धारा–169–कोई भी संक्रमणीय अधिकारी वाला भूमिधर अपनी कुल या जुज (हिस्से) को वसीयत कर सकता है।परन्तु कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति या जनजाति का व्यक्ति को अपनी भूमि की वसीयत नहीं कर सकता।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

धारा–171–धारा–171 में यह संशोधन कर दिया गया है,कि किसी पुरूष भूमिधर या आसामी की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकार के श्रेणी में उसकी विधवा को उसके पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त होगा। विस्तृत विवरण आगे दिया गया है।

धारा–176–कोई भूमिधर अपने खाते के विभाजन के बाद असिस्टेंट कलेक्टर,प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। जिसमें गांव सभा आवश्यक पक्ष होगी।

धारा–198क(1)–जहां किसी व्यक्ति को धारा–195 के अधीन किसी गांवसभा की भूमि का असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा–197 के अधीन किसी भूमि के आसामी के रूप में आवंटित किया जाये, या जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा उठाई जाये,और प्रदर्शन ग्रहीता या पटटेदार से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन (कब्जा) है, वहां अस्टिंट कलेक्टर यथास्थिति प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार के आवेदन पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा, और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है। या करा सकता है।जिसे वह आवश्यक समझे।

धारा–209,किसी भूमिधर या आसामी के भूमि पर अनाधिकृत काबिज व्यक्ति को भूमिधर अथवा आसामी के वाद पर बेदखल किया जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा, ऐसा वाद असिस्टेट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी के न्यायालय में दायर किया जा सकता है। जिसमें उ0प्र0सरकार आवश्यक पक्ष होगी। ऐसा वाद कब्जे की बारह वर्ष की अवधि के अन्दर योजित (दाखिल)हो सकेगा।

धारा–211,जहां अनुसूचित आदिम जाति के किसी खातेदार द्वारा धारित कोई भूमि ऐसे खातेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, वहां असिस्टेंट कलेक्टर इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे खातेदार के आवेदन पत्र या स्वप्रेरणा से अध्यासीन (अवैध कब्जेदार) को बेदखल करने के पश्चात उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है,या करा सकता है। जो आवश्यक समझे जायें।

धारा–229बी–किसी जोत अथवा उसके भाग का अकेला अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से आसामी होने का दावा या भूमिधर होने का दावा करने वाला व्यक्ति असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। जिस वाद में राज्य सरकार व ग्राम सभा आवश्यक पक्षकार होगें।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

भू–राजस्व अधिनियम–1901

धारा–28 इस धारा के अधीन कोई खातेदार भूचित्र यदि त्रुटिपूर्ण बन गया है,तो उसको सही करा सकता है।

धारा–38(क) इस धारा के अधीन जोतदार की मृत्यु लेखपाल/राजस्व निरीक्षण द्वारा स्वयं निर्विवाद उत्तराधिकार,निर्धारित किया जाता है, तथा जोतदार की तेरहवीं तक उद्वरण खतौनी उपलब्ध करा दी जायेगी।

धारा–38/39,इस धारा के अधीन भू–लेखों में किसी लिपिकीय त्रुटि या भूलवश यदि कोई प्रविष्टि छूट जाये।तो संशोधन कराया जा सकता है।

धारा–34–इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति,जो उत्तराधिकार स्वरूप अथवा हस्तान्तरण पर भूमि पर अध्यासन प्राप्त करता है,अपना नामान्तरण करा सकता है।इसके लिए तहसीलदार / अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय सक्षम है।

धारा–41– इस धारा के अधीन कोई संक्रमणीय भूमिधर अपनी जोत की ठियाबंदी बन्दोबस्त भू–चित्र के आधार पर करा सकता है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com